

जिला प्रभारी सचिव 2 8 एवं 2 9 मई को प्रभार वाले जिले का भ्रमण करेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला प्रभारियों को 31 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

जयपुर, 27 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निदेशानुसार सभी जिलों के प्रभारी सचिव 28 एवं 29 मई को अपने प्रभार वाले जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 31 मई को जयपुर में आयोजित होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी ‘आज्ञा’ के मुताबिक प्रभारी सचिव जिले में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर इसके अन्तर्गत जिला प्रशासन के अधिकारियों जिला कलेक्टर, अति. जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं विभाग के फील्ड स्तर के अधिकारियों की सक्रियता का आंकलन करेंगे।

प्रभारी सचिवों को हीट वेव एवं मौसमी बीमारियों से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा कर इससे सम्बन्धित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा

- जिला प्रभारी दो दिन अपने प्रचार वाले जिलों में रूकेंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।**

जिला प्रशासन एवं फील्ड स्तर के अधिकारियों की इस सम्बंध में सक्रियता का आंकलन कर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, गौशाला एवं अन्य पशु-पक्षियों के लिये पेयजल, दवाईयों आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

प्रभारी सचिव इस दौरान सभी राजकीय विभागों के ई-फाइल डिस्पोजल समय एवं अधिकारियों-कार्मिकों का कार्यक्षमता एवं समय पालन की समीक्षा भी करेंगे। लम्बित भू-हस्तान्तरण, भू-रूपान्तरण एवं भू-

आवंटन की स्थिति तथा लम्बित औद्योगिक भू आवंटन प्रस्तावों की जांच भी करेंगे। साथ ही, जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रमण, रात्रि विश्राम एवं चौपाल आदि आयोजित करने की समीक्षा करेंगे। प्रभारी सचिव अवैध खनन, ड्रग्स एवं महिला अपराध की स्थिति तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं अवधि पर उपादों की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को

प्रस्तुत करेंगे। प्रभारी सचिवों को मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं एवं अन्य किये जाने वाले ठोस उपाय तथा वृहद स्तर पर पोषरोपण अभियान तैयार कर इसे जन आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ‘आज्ञा’ के अनुसार प्रभारी सचिव दौरे की रिपोर्ट तीन दिन में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूपूर मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे।

- बिभव कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई हुई।**

एक अदालत की ओर से बिभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बिभव कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है।

कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

बिभव कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है।

‘यू.पी.ए. सरकार ने बजट घाटे को देश और जनता से छुपाने की प्रथा अपना रखी थी’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, यू.पी.ए. सरकार ने इसके लिए कट ऑफ बजट तथा ऑयल बॉण्ड्स का सहारा ले रखा था, जिससे यह बोझ चोरी छुपे आने वाली पीढ़ियों पर ट्रांसफर हो गया

नई दिल्ली 27 मई (वार्ता)। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और संख्याओं में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है जबकि पूर्ववर्ती संग्रम सरकार ने ऑफ-बजट उधार और तेल बांड के माध्यम से घाटे को छुपाने की प्रथा अपनाई,जिसनेकुछ हदतक राजकोषीय बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर दिया गया। सीतारमण ने एक्स पर एक के बाद एक कुल पांच पोस्ट कर बजट के बारे विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि संग्रम सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने ऑफ-बजट उधार और तेल बांड जारी करने के माध्यम से घाटे को छुपाने की दोहराई प्रथा, जिसने कुछ हद तक राजकोषीय बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर दिया। संग्रम के तहत, बजट संख्या को अनुकूल बनाने के लिए मानक राजकोषीय प्रथाओं को नियमित रूप से बदला गया था। पारदर्शी बजट वाले देशों को अक्सर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आई.एम.एफ.) और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा अधिक अनुकूल रूप से देखा जाता है। इससे वैश्विक विश्र्वास में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार के पिछले दशक के कार्यकाल में पिछली बाधाओं और पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की पवित्रता और विश्वसनीयता में पर्याप्त सुधार होने का

केजरीवाल के पी.ए. बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 27 मई। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार पर बीती 1 3 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली की

- बिभव कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई हुई।**

एक अदालत की ओर से बिभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

बिभव कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है।

एक जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। टी.एम.सी. के सूत्रों ने कहा कि, बैठक वाले दिन बंगाल में 9 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें कोलकाता की 2 सीट (कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर) शामिल हैं, जो तृणमूल के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

कोलकाता, 27 मई। तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस की बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। टीएमसी के सूत्रों ने कहा कि बैठक वाले दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीट पर मतदान होगा, जिनमें कोलकाता की 2 सीट (कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर) शामिल हैं, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

टी.एम.सी. के सूत्रों ने कहा, राज्य में उस दिन जिन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें यादवपुर, दमदम, बारासात, बशीराहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर शामिल

भारत पाक सीमा पर हीट स्ट्रोक से जवान की मौत

जैसलमेर, 27 मई (नि.सं.)। भारत-पाक सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स (बी.एस.एफ.) के एक जवान की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। इन दिनों बॉर्डर पर तापमान 50 डिग्री के पार हो गया है।

बी.एस.एफ. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बी.एस.एफ. की 173वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सारू गांव का निवासी था। रविवार को वह सीमा चौकी भानु पर तैनात था। वहां भीषण गर्मी की वजह से उसकी तबियत खराब हो गई। उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह रामगढ़ अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर शव बी.एस.एफ. के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। शव को रामगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा जोधपुर ले जाया गया है और जोधपुर से हवाई जहाज से उसके पैतृक

- बॉर्डर सिक्वोरिटी फोर्स की 173वीं बटालियन का यह कांस्टेबल अजय कुमार प. बंगाल का रहने वाला था और भानु चौकी पर तैनात था, सरहद पर तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है।**

गांव ले जाया जाएगा।

शाहगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ अस्पताल परिसर में शहीद जवान को गाई ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में 173वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने जवान के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी थी।

31 मई को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) करेंगे। ज्ञातव्य है कि रैवन्ना के खिलाफ अनेक महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उनके विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया था इसके चलते वे 26 अप्रैल को जर्मनी भाग गए थे। स्पष्ट है कि इस मामले में कर्नाटक में तथा अन्यत्र राजनीति दबाव बनाया जा रहा था। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी केदर सरकार और भाजपा पर आरोप लगा रही है तथा रैवन्ना को एक यौन शिकारी के रूप में चित्रित कर रही है पार्टी का आरोप है कि केन्द्र सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग रैवन्ना को बचा रहे हैं।

इस मुद्दे के कारण भाजपा व प्रधानमंत्री को छत्रि पर भी असर पड़ा है संभावना यह भी है कि भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दलों पर रैवन्ना को वापस देश में बुलाने पर दबाव बना रही है और आम चुनावों के बीच की अवधि में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाए यहां आकर उन पर लगे आरोपों का सामना करें।

परंतु, सात चरणों में चल रहे आम चुनावों के अंतिम चरण से ठीक एक दिन पूर्व अब रैवन्ना ने घोषणा की है कि उनका इरादा 31 मई को विशेष जांच दल के समक्ष स्वयं को समर्पण करने का है। इस तथ्य को महैनजर रखते हुए भाजपा को मतदान पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और यह भी कि देश का मीडिया भी इस घटना को कहानी को प्रसारित करने के लिए विवश होगा और जब भी वह भारत में जांच का सामना करने देश की धरती पर उतरेंगे, डिजिटल मीडिया इस घटना को जोरदार तरीके से अपनी खबरों में पेश करेगा।

इण्डिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जगन मोहन रेड्डी की पार्टी शामिल है।

त्रिशंकु संसद बनने की दश में राजनैतिक समीकरणों का पुनर्गठन होगा, एक गठबंधन बनेंगे और कुछ टूट भी सकते है इन हालात में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सजग रहना चाहता है।

वकीलों के काला कोट पहनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका में मांग की गई है कि, गर्मी में काले कोट के कारण वकीलों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है

नई दिल्ली, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गर्मियों के दौरान वकीलों के ड्रेस कोड में राहत देने की अपील की गई है। इसके तहत मांग गई है कि वकीलों को गर्मियों के दिनों काला कोट न पहनने की छूट दी जाए। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि, एडवोकेट ऐक्ट, 1961 के नियमों में संशोधन किया जाए इससे वकीलों को गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से राहत मिल सकेगी।

याचिका में कहा गया है कि, अदालत सभी राज्यों के बार काउंसिल को इस संबंध में आदेश दे। इसके तहत उन महीनों की सूची तैयार की जाए, जब काला कोट पहनना गर्मी के चलते मुश्किल भरा हो सकता है। अर्जी में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में भी काला कोट पहनने से

होने वाले नुकसान के अध्ययन के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाए, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हों। याची ने कहा कि इस बात की स्टडी तो होनी ही चाहिए कि कैसे गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से सेहत, कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ सकता है।

एडवोकेट सैलेंद्र मोंण त्रिपाठी ने बेंच से अपील की है कि परंपरागत ड्रेस कोड के नियमों में छूट दी जाए। इसकी वजह यह है कि, देश के मैदानी इलाकों में गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसा लगातार कई महीनों तक होता है और उस स्थिति में काला कोट पहनना मुश्किल भरा होता है। याची ने कहा कि काला कोट पहनने की परंपरा ब्रिटिश दौर से जुड़ी है, लेकिन यह हमारे लिए सही नहीं है। याची ने कहा कि ब्रिटेन के मौसम की परिस्थिति अलग

थी और हमारे यहां माहौल दूसरा होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में ऐसी ड्रेस पहनना ठीक नहीं है।

याची ने कहा कि काला रंग गर्मी को आकर्षित करता है। इसकी वजह से गर्मी से वकीलों को तपना पड़ता है और उससे उनकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कि वह सुरक्षित माहौल में काम कर सके। वकीलों को मोटे काले कोटों का पहनना मुश्किल भरा होता है। इससे उनके लिए कामकाज की स्थिति असुरक्षित और मुश्किल भरी होती है। यह असुविधाजनक है। इससे सुरक्षित वर्कप्लेस का अधिकार भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही किसी बीमारी का शिकार हैं, उनके लिए तो यह और मुश्किल भरा हो सकता है।

आशंकित व अचंभित क्यों हैं हाईकोर्ट के वकील, जॉर्ज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तकनीकी विभाग’ की ओर से पैरवी कर रहे हैं उल्लेखनीय है कि अनूप जॉर्ज पूर्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के सचिव भी रह चुके हैं। वे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में महाधिवक्ता रह चुके हैं। यही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में चयन के खिलाफ दायर याचिका में वे पैरवी कर चुके हैं, तथा साथ ही कांग्रेस संसद गोविंद सिंह के पक्ष में भी पैरवी के लिये अदालत में पेश हुए हैं।

इन तथ्यों से यह तो स्पष्ट होता है कि अनूप जॉर्ज चौधरी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समीप रहे हैं, पर क्या यह तथ्य उनकी वकालत के प्रति सत्यनिष्ठा पर अंकुश लगा सकता है? अगर रायज सरकार के फैसलों को देखा जाये तो नहीं।

भारतीय न्याय प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, “यतो

धर्मस्ततो जय:”, जिसका अर्थ है सत्य और धर्म की ही जीत हो। इसीलिये राज्य सरकारों में महाधिवक्ता व समक्ष सरकारी वकीलों की ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। वे अदालत के समक्ष वैसे तो सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, परंतु उनसे आशा होती है कि वे न्याय और सत्य की ही पैरवी करें और किसी के साथ अन्याय ना होने दें। सरकार के ‘पब्लिक प्रोसीक्यूटर’ (लोक अभियोजक) भी सरकारी की ओर से कानून की अवहेलना करने वाले के खिलाफ ‘प्रोसीक्यूशन’ (मुकदमा दायर कर पैरवी करते हैं) करते ना कि ‘परसीक्यूट’ (आमजन को सताने) का कार्य करते हैं। इन्हें आदर्शों के कारण आमजन का न्याय प्रणाली पर भरोसा रहना है और सरकारी वकीलों की ईमानदारी भी विवादों से परे रहती है।

भूतकाल में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां राज्य सरकारों के बदलने

के बाद भी महाधिवक्ता को नहीं बदला गया क्योंकि सरकार उन वकीलों की सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकती थीं। उल्लेखनीय है कि दूसरी गहलोत सरकार में वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस. बापना महाधिवक्ता थे जिन्हें वसुंधरा

सरकार ने भी नियमित रखा था। परंतु यहां पर उल्लेखनीय है कि जी.एस. बापना व्यक्तित्गत तौर पर किसी भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए। वैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी में अपना पद त्याग देने के बाद ही स्वतंत्र रूप से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। वे चाहे कांग्रेस से पूर्व में जुड़े रहे हैं, परंतु कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस की राजनैतिक विपक्षी पार्टी भाजपा के लिये ना तो कभी पैरवी की और ना ही कोई पद स्वीकारा। कपिल सिब्बल का नाम विपक्ष की अन्य पार्टी जैसे सपा और आप के साथ जरूर जोड़ा जाता है, परंतु भाजपा के साथ नहीं, जिसका शायद वैचारिक रूप से कांग्रेस से कभी मेल नहीं हो सकता।

इन दोनों उदाहरणों के बावजूद यह कहना आवश्यक होगा कि जी.एस.बापना और कपिल सिब्बल का उदाहरण एक अपवाद ही है और नियम नहीं है। इसलिये शायद आमजन, भाजपा कार्यकर्ता, नेताओं व पार्टी से संबंधित कई वकीलों के यह तथ्य गले नहीं उतर रहा कि राज्य सरकार ने उसकी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी को नियुक्त किया है, जो एक समय पर ए.आई.सी.सी सचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी सबसे बड़ी और सबसे प्रबल विपक्षी पार्टियां हैं, जिनके नेताओं ने राजनैतिक लाभ के लिये भले ही दल बदले हों, परंतु कांग्रेस संगठन में सचिव रहे जरूर जोड़ा जाता है, परंतु भाजपा के

का दावा करते हुए उन्होंने कहा ” हमारे बजट की विशेषता राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता और समावेशिता है, जो सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश सुनिश्चित करता है। हम अपने कर्दादाओं से एवज किए गए प्रत्येक रुपये का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग करते हैं और उन्हें सार्वजनिक वित्त की पारदर्शी तस्वीर देते हैं। हमारी सरकार द्वारा बजटीय प्रक्रिया और प्रथाओं को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय और सुधार किए गए हैं।”

सीतारमण ने कहा कि, वित्त वर्ष 2017-18 से बजट प्रस्तुति फरवरी के आखिरी कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को कर दी गई है। इसने व्यय चक्र को

प्रभावी ढंग से 2 महीने आगे बढ़ा दिया। इस सुधार से पहले, लेखानुदान के माध्यम से संसद से प्राधिकरण केवल वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों के लिए उपलब्ध था।

बंगाल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संकट में है। यद्यपि, राज्य सरकार ने इन कोटों को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होना दिखाया है।

राज्य सरकार, राहत संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। यह जिला प्रशासन का कर्तव्य था कि वो प्रभावित लोगों की राहत संबंधी जरूरतों को पूरा करें।

‘गुरू गोविन्द सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रहे थे। भाई मोक्ष सिंह वर्ष 1685 में आनंदपुर साहिब आए। वे जल्द ही युद्ध में प्रशिक्षित हो गए और फिर गुरू गोविन्द सिंह की सेना को प्रशिक्षण देने लगे।

वर्ष 1699 में, दसवें सिख गुरू गोविन्द सिंह ने आनंदपुर साहिब में एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने ऐसे पाँच लोगों से उनके शीश मांगे, जो पाँच काकड़ (या वस्तुओं- केश, कंधा, कड़, कचेरा और किरपान) का सम्मान करना चाहते हैं। गुरू ने खालसा सिखों को आर्क्षित किया थ कि व यह पाँच चीजें हमेशा धारण करें। मुष्टन संस्कार को मानने वाले ऊंची जातियों के अधिकांश लोगों ने उक्त पाँच आदेशों में से एक, लम्बे बाल रखने से इंकार कर दिया था, इसलिए पाँच लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए गुरू को अपने शीश अर्पित कर दिए थे। फिर, गुरू गोविन्द सिंह पहले व्यक्ति को एक टैन्ट के भीतर लेकर गए, जहाँ उन्होंने एक बक्की रखी थी। बाद में वे एक तलवार लेकर बाहर आए जो खून

से सनी थी। “बावजूद इसके चार अन्य जनों ने अपने शीश चढ़ाने का प्रस्ताव दिया। बाद में गुरू गोविन्द सिंह ने “पंज प्यारे” कहकर संबोधित किया। अपना शीश चढ़ाने का प्रस्ताव देने वाले भाई मोक्षम सिंह चौथे पंज प्यारे थे।

पंज प्यारों को गुरू गोविन्द सिंह का अतिप्रिय माना जाता था। मोक्षम सिंह के अलावा अन्य पंज प्यारे थे- लाहौर के भाई दास सिंह, हर्दितानपुर के भाई धरम सिंह, जगन्नापुरी के भाई हिम्मत सिंह और बीदर के भाई साहिब सिंह। पंज प्यारों के प्रति सिखों की अगाध श्रद्धा है। वे इन्हें दृढ़ता और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखते हैं।

भाई मोक्षम सिंह वर्ष 1705 में हुए चमकौर युद्ध में वीरान्ति को प्राप्त हुए थे।

सौनियर पत्रकार योगेश दीक्षित के अनुसार “प्रधानमंत्री को तथ्यों की सटीकता अथवा ऐतिहासिक तथ्यों की परवाह कभी नहीं रही है क्योंकि वे अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार तथ्य प्रस्तुत करना पसंद करते हैं।

केजरीवाल ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है, जो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है।उन्होंने अपनी याचिका में कहा, “वर्तमान में उनका इलाज कर रहे मैक्स अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने कुछ जांच करने की सलाह दी है, जिसके लिए सात दिनों का समय चाहिए।याचिका में कहा गया है कि उन्हें पीडंटी-सीटी स्कैन और अन्य जांच करने की सलाह दी गई है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियानों में भाग लेने के लिए एक जून तक अंतिम जमानत दी थी और दो जून को उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति -2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाले में 21 मार्च 24 को गिरफ्तार किया गया

था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। उन पर पूर्व के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपये गलत तरीके से हासिल करने का आरोप है। केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है।इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत की ओर से अंतिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने नियमित जमानत के लिए अब तक कोई याचिका दायर नहीं की है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 22 को अबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए

^[1] राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आनन्द, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक शायद शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायथा हाजस, छत्रपति सिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाउस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 22006660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424

^[2] हिण्डौनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

^[3]
^[4]